न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सख्याः—37/2017

वृजकिशोर बनाम रामसागर

06.03.2019

वादी के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र 6ग—2 मय शपथपत्र 7ग—2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी ने प्रार्थना—पत्र 6ग—2 के माध्यम से प्रार्थना किया गया है कि प्रश्नगत प्लाट ए,बी,सी,डी, पर नवनिर्माण करने से प्रतिवादीगणो को रोका जावे।

प्रार्थना—पत्र के समर्थन में वादीगण की ओर से सूची 12ग—2 के माध्यम से 01 ता 2 अभिलेख प्रस्तुत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो में प्रतिवादीगण को सुने बिना वादीगण के पक्ष में एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते 6ग—2 दिनांक 06.04.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

06.03.2019

8ग—2 अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना—पत्र सुना। न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। वाद पैरवी अमीन को 8ग—2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। अमीन कमीशन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षो को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन